कार्यालय – केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, चित्रकूट।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016–2017 के लिए कर्वी (चित्रकूट) दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक 31.03.2017 तक जलपान गृह चलाने के लिए खुली बोली के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी दिनांक 02.05.2016 को सायं 4:30 बजे न्यायालय भवन के बरामदे में होगी।

नीलामी की शर्तों का विवरण निम्नवत् हैः–

01. नीलामी का न्यूनतम मूल्य 90,000/–रूपये होगा।
02. नीलामी वाले को रू0 2500.00 बतौर अमानत नजारत में जमा करना होगा।
03. नीलामी स्वीकृत तभी मानी जाऐगी, जब यह नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग तुरन्त जमा कर देंगे।
04. नीलामी लेने वालों को इस बात की घोषणा दाखिल करना होगा कि वह बकायेदार नहीं है।
05. बकायेदार व उसके पारिवारिक सदस्य नीलामी नहीं ले सकेंगे।
06. नीलामी लेने वाले की बोली अन्तिम रूप से यदि स्वीकार कर ली जाती है तो उसे माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के आधार पर स्टाम्प पत्र में इकरारनामा दाखिल करने के उपरान्त ही जलपानगृह चलाने की अनुमति दी जाऐगी। इस संबंध में नीलामी की रकम के अनुसार शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस व स्टाम्प शुल्क नीलामी बोलने वाले के द्वारा देय होगा।
07. नीलामीकर्ता को पूर्णतया अपने व्यय से न्यायालय परिसर में अस्थायी निर्माण करके जहॉ पर जलपानगृह चल रहा था अथवा जिला जज कार्यालय द्वारा निर्धारित या परिवर्तित स्थान पर ही जलपानगृह चलाना होगा।
08. नीलामी प्राप्त करने पर ठेकेदार को न्यायालय से पानी/विद्युत के संयोजन से जल व विद्युत नहीं ले सकेंगे।
09. नीलामी अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी को यह अधिकार है कि वह नीलामी को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है। उच्चतम बोली की भी नीलामी अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
10. नीलामी लेने वाले ठेकेदार को विक्रय योग्य सामान की मूल्य सूची रखना होगा तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा।
11. विक्रय किया जाने वाला सामान हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाऐगा यदि वह सामान आपत्तिजनक पाया गया तो उसका विक्रय बन्द कराने का अधिकार जिला जज को प्राप्त रहेगा। यदि संविदा भंग की जाती है तो अमानत धनराशि को जब्त कर लिया जाऐगा।
12. नीलामी वाले का नगरपालिका परिषद् द्वारा लगाया गया टैक्स अदा करना होगा व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सभी वॉछित पंजीकरण कराना होगा।

13. नीलामी वाले के द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि की अन्तिम किश्त/अग्रिम किश्त में उसके आग्रह पर समायोजित की जाऐगी अथवा अन्तिम किश्त जमा होने के बाद अमानत धनराशि वापस कर दी जाऐगी। नीलामी लेने वाले को एक जमानतदार देना होगा जिसकी हैसियत सरकारी कागजात के अनुसार नीलामी धनराशि के बराबर होगी।

14. नीलामी लेने वाले को विक्रय योग्य खाद्य पदार्थों के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना होगा तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। सभी सामान का विक्रय मूल्य सूची के सामने बोर्ड पर लगाना होगा तथा बाजार के समतुल्य रखना होगा।

15. स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों व वस्तुओं की दरों एवं इकरारनामा भंग करने को गम्भीरता से लिया जा सकता है और ठेकेदार की प्रतिभू जब्त करके संविदा भंग करके बीच में जलपानगृह खाली कराया जा सकता है।

16. जलपानगृह के अलावा नीलामी लेने वाला व्यक्ति नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त उस दुकान को अन्य कोई व्यवसाय का सामान बिक्री हेतु उपभोग नहीं कर सकता।

17. नीलामी पर जलपानगृह चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर में किसी को ठहरने नहीं देंगे तथा जिला जज के सभी सुरक्षा सम्बन्धी आदेशों से आबद्ध रहेंगे।

सदस्य/सिविल जज(सी०डि०)
नीलामी समिति (जलपान गृह)
जिला न्यायालय, चित्रकूट।

21.4.16
अध्यक्ष/अपर जिला जज,
नीलामी समिति (जलपान गृह),
जिला न्यायालय, चित्रकूट।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सदर नाजिर, कलेक्ट्रेट, चित्रकूट।
02. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट।
03. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका कर्वी चित्रकूट।
04. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, चित्रकूट।
05. सहायक नाजिर। (मुनादी हेतु)
06. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
07. नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय चित्रकूट एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

21/04/16
सदस्य/सिविल जज(सी०डि०)
नीलामी समिति (जलपान गृह)
जिला न्यायालय, चित्रकूट।

21.4.16
अध्यक्ष/अपर जिला जज,
नीलामी समिति (जलपान गृह),
जिला न्यायालय, चित्रकूट।